



## -:प्रेस नोट:-

दिनांक- 15.07.2025

### कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 05 अलग-अलग मामलों में 09 अभियुक्तों को 13500/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

**विवरण-** पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 05 अलग-अलग मामलों में कुल 09 अभियुक्तों को कुल 13500/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

#### **अभियोग-**

1. थाना कोतवाली देहात में पंजीकृत अभियोग 189/11 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्तगण 1. पुन्ना पुत्र सोनवा 2. दयाराम पुत्र पुन्ना 3. तुलसी पुत्र सोनवा निवासीगण गढुवा पुरवा मजरा महोखर थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा को कुल 7500 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना बबेरू में पंजीकृत अभियोग 08/05 धारा 323/504/506/427 भादवि के अभियुक्त रविन्द्रपाल पुत्र सुन्दरपाल नि0 कस्बा बबेरू थाना बबेरू जनपद बांदा को कुल 1000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
3. थाना मरका में पंजीकृत अभियोग 10/09 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्तगण 1. कृष्णकान्त द्विवेदी पुत्र विद्याधर 2. राजू द्विवेदी पुत्र कृष्णकान्त 3. माया देवी पत्नी कृष्णकान्त निवासीगण ग्राम पिण्डारन थाना मरका जनपद बांदा को कुल 3000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
4. थाना कमासिन में पंजीकृत अभियोग 75/05 धारा 25A एक्ट के अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र शिवकुमार यादव निवासी बिलास थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 500 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
5. थाना बबेरू में पंजीकृत अभियोग 307/14 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्त मेडा पुत्र भोला पाल नि0 ब्यौँजा थाना बबेरू जनपद बांदा को कुल 1500/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।